संख्या– 24 /सोलह–प्रा0शि0–3–2010–15(30)/2009

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक 6 जनवरी, 2011

विषय:– राजकीय पालीटेक्निक (पुरूष /महिला) में द्वितीय पाली में प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने हेतु शैक्षणिक /शिक्षणेत्तर स्टाफ के मानदेय/पारिश्रमिक एवं अन्य मानकों के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5075/सोलह–प्रा0शि0–3–2010–15(30)/2009 दिनांक 18–10–2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सत्र 2010–11 से 13 राजकीय पालीटेक्निकों –मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर, झॉसी, राजकीय चर्म संस्थान, आगरा, कानपुर तथा एन0आर0आई0पी0टी0, इलाहाबाद में द्वितीय पाली के संचालन हेतु निम्नवत् मानकों के निर्धारण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– द्वितीय पाली के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– द्वितीय पाली हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 नार्म्स के अनुसार रेगुलर स्टाफ एवं पार्टटाइम स्टाफ से शैक्षिक कार्य कराने पर कुल प्रस्तावित पीरियड (सैद्वान्तिक + प्रयोगात्मक) यह व्यवस्था संबंधित संस्थाओं में 50 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ स्वीकृत होने तक ही लागू रहेगी।

3– द्वितीय पाली हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 की संस्तुतियों के अनुसार 50 प्रतिशत एडीशनल स्टाफ स्वीकृत होने तक द्वितीय पाली में प्रशिक्षण के संचालन हेतु संस्था का रेगुलर स्टाफ जो द्वितीय पाली में प्रशिक्षण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षण–प्रशिक्षण तथा सपोर्टिंग स्टाफ के रूप

––––2/–

में कार्य करेंगे, उन्हें निम्नवत् पारिश्रमिक (प्रतिमाह) दिया जाना प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	पदनाम	संख्या	प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति मानदेय	मासिक व्यय
1.	प्रधानाचार्य	01	15,000=00	15,000=00
2.	विभागाध्यक्ष/ वरिष्ठ प्रवक्ता	03	12,000=00	36,000=00
3.	प्रवक्ता (तीन पाठ्यक्रमों हेतु प्राविधिक एवं अप्राविधिक प्रवक्ता	04	10,000=00	40,000=00
4.	अनुदेशक/कम्प्यूटर प्रोग्रामर	05	7,000=00	35,000=00
5.	पुस्तकालाध्यक्ष	01	5,000=00	5,000=00
6.	लिपिक वर्गीय	04	5,000=00	20,000=00
7.	इलेक्ट्रीशियन/डी0जी आपरेटर	01	5,000=00	5,000=00
8.	चतुर्थ श्रेणी	06	4,000=00	24,000=00
			योग	1,80,000=00

3– प्रवक्ताओं को पारिश्रमिक शासनादेश संख्या–1517/16–प्रा0शि0–3–2009–15(13)/2007 दिनांक 29–7–2009 में अतिथि व्याख्याताओं हेतु निर्धारित दरों के आधार पर देय होगा।

4– राजकीय पालीटेक्निकों में द्वितीय पाली के संचालन हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–5075/सोलह–प्रा0शि0–3–2010– 15(30)/ 2009 दिनांक 18–10–2010 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– उक्त के संबंध में आने वाले व्यय भार को अनुदान संख्या–47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक –2203–तकनीकी शिक्षा–105–बहुशिल्प विद्यालय–आयोजनागत–03 सामान्य पालीटेक्निक की सुसंगत मानक मद से वहन किया जायेगा।

6– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–13/दस–2011 दिनांक 05 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

——3/–

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2— मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
3— वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4— निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
5— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद/संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6— समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग (द्वारा निदेशक)
7— समस्त प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक)
8— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—11
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनु सचिव